सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 315/16 **निर्णय दिनांकः–16.03.2018**

1. श्रीमती राजवन्ती पत्नी रायसाहब जाति जाट निवासी चक 8 एसटीएम सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–08–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थितिः–

1. श्री नारायणदास खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 11–08–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने वांछित सबूत प्रस्तुत न करने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तहत चक 9 बी.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 183/20 के आवंटन हेतु नियमानुसार का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण

पत्र, निर्वाचन सूची एवं तमाम सबूतों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं करते हुए बिना अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस दिये वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 08—09—14 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

08–09–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष विशेष आवंटन के तहत चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 183/20 के आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र व निर्वाचन सूची 2003 आदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रामण पत्र व निर्वाचन सूची 2003 प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि उक्त सबूत आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत किये जाने

अपरिहार्य थे। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तत्समय वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैइससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू का आदेश दिनांक 11–08–2008 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर